Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, अलवर में नर्सिंग एवं अन्य कार्मिकों की भर्ती के लिये रिश्वत लेने के मामले में चार व्यक्ति गिरफ्तार**
- **आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपये की नगदी बरामद**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *18 जून।* ए.सी.बी. मुख्यालय को मिली सूत्र–सूचना को विकसित किया जाकर ए.सी.बी. की विशेष अनुसंधान इकाई एवं अन्य टीमों द्वारा गुरूवार देर रात को अलवर, अजमेर एवं जोधपुर में कार्यवाही करते हुये **ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, अलवर** में नर्सिंग एवं अन्य कार्मिकों की भर्ती के लिये रिश्वत लेने के मामले में **प्रदेश में विभिन्न स्थानों से चार व्यक्ति गिरफ्तार** किया है। गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से **20 लाख रुपये से अधिक नगदी** भी बरामद की गई है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. एक सूत्र सूचना इस आशय की प्राप्त हुई कि अलवर में भारत सरकार के अधीन संचालित ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नर्सिंग व अन्य कार्मिकों की भर्ती का कार्य एम.जे. सोलंकी कम्पनी, राजकोट, गुजरात को दिया गया है। इस कम्पनी के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा खुली भर्ती प्रक्रिया को दरकिनार कर अवैध रूप से भारी मात्रा में धनराशि लेकर लोगों को भर्ती किया जा रहा है। उक्त गिरोह द्वारा बेरोजगार लोगों को ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, अलवर में स्थाई नियुक्ति का झांसा देकर संविदा पर चयन के उपरान्त प्रतिमाह सरकार से मिलने वाली सैलेरी से तीन से चार माह की एडवांस अवैध रूप से वसूली भी कर रहे हैं।

जिस पर एसीबी जयपुर मुख्यालय स्थित विशेष अनुसंधान इकाई (एस.आई.डब्ल्यू.) के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी एवं अन्य टीमों द्वारा प्रदेश के अलवर, अजमेर एवं जोधपुर में कार्यवाही करते हुये 1– भरत पूनिया पुत्र श्री कमलेश पूनिया निवासी गांव पाल, चोहटे के पास, पुलिस थाना बोरानाड़ा जोधपुर हाल फील्ड इंचार्ज, एम.जे. सोलंकी कम्पनी, राजकोट, गुजरात 2– कानाराम चौधरी पुत्र श्री रामाराम चौधरी निवासी धायलों की ढ़ाणी, गंगाणा, पाल रोड़ जोधपुर हाल सुपरवाईजर, एम.जे. सोलंकी कम्पनी, राजकोट, गुजरात 3– मन्जल पटेल उर्फ मिनेष पटेल पुत्र श्री नटवर लाल निवासी ए–302, उमीया तीर्थ विले, गायत्री मंदिर रोड़ कलोल, गांधीनगर गुजरात हाल हिस्सेदार, एम.जे. सोलंकी कम्पनी, राजकोट, गुजरात 4– महिपाल यादव पुत्र श्री सुबेसिंह निवासी गुलहेड़ा, पुलिस थाना मुंडावर, जिला अलवर हाल सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, एम्स अस्पताल, जोधपुर को गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।